तारीख हुक्म	**विजय कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, फलौदी)** सू.अ.अपील संख्या 254 / 2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.09.22	अपीलार्थी विजय कुमार पुत्र स्व. मदनमोहन बोहरा निवासी लक्ष्मीपुरा, हायर सैकण्डरी स्कूल के पीछे, फलौदी, जिल जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2021 में उसके द्वारा (1) दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2020 तक उपपंजीयक कार्यालय, फलौदी में फलौदी शहर के वार्ड संख्या 1 से 40 तक के कितने पंजीयन दस्तावेजा पंजीयन किये गये व किस व्यक्ति के द्वारा किस दिनांक को बेचान किया गया, किस व्यक्ति के द्वारा खरीद किया गया (2) अन्य बिन्दूओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, फलौदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, फलौदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, फलौदी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, फलौदी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	